

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1038.

रीवा, दिनांक 5-8-21


अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाजविज्ञान संकाय अन्तर्गत भूगोल के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यविधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

भूगोल अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1	रिक्त
	28(2) दो	1	डॉ० आलोक राय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, शास० शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगज, रीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० कैलाश सिंह नेताम, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, शास० संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, जिला-सीधी (म०प्र०)
	28(2) तीन	1	रिक्त
	28(2) चार	1	डॉ० आर०एस० सिंह, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला-रीवा (म०प्र०)
		2	डॉ० एस०एम० प्रजापति, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, शास० नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढार, शहडोल (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1	डॉ० आर०पी० सिंह, प्राध्यापक, भूगोल, शास० संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म०प्र०)
		2	डॉ० वी०के० शर्मा, सह-प्राध्यापक, भूगोल, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० आलोक राय को भूगोल अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)